

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीगराना(कोटपूतली-बहरोड़)  
पीठारीन अधिकारी :- पंकज बडगुजर (आर.ए.एम.)

पत्र संख्या  
2022

रजू दिनांक  
21.11.2022

निर्णय दिनांक  
26.06.2024

उत्नवान

नेतराम पुत्र नन्दा  
बलानीसहाय पुत्र किशोर  
शिवापाल पुत्र नन्दा  
कदिला उर्फ कैलाश पुत्री श्यामा  
रुसोज उर्फ बेबी पुत्री श्यामा  
स्तोष उर्फ बबली पुत्री श्यामा  
सुभाष पुत्र श्यामा  
सुनील कुमार पुत्र श्यामलाल उर्फ श्यामा  
हुकमचन्द पुत्र नन्दा जातिगान खाली निवासीगान ग्राम रेवाणा तह0 नीगराना हाल जिला  
कोटपूतली-बहरोड़

प्रार्थीगण।

बनाम

श्रीमान तहसीलदार नीगराना हाल जिला कोटपूतली-बहरोड़।

अप्रार्थी।

प्रार्थना पत्र- अंतर्गत धारा 128, 111 एल0आर0एक्ट0।

प्रति:

श्री नोपेन्द्र कुमार शर्मा अधिवक्ता-प्रार्थीगण।

-:निर्णय:-

दिनांक 26.06.2024

आज यह प्रार्थना पत्र पत्रावली सुनाये जाने आदेश पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित आए प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र का सारतः रहा कि गिन प्रार्थीगण की सहखातेदारी हाल ख.नं. 163/0.02, 164/2.90 हैक्टैयर वाके ग्राम रेवाणा तह0 नीगराना हाल जिला कोटपूतली-बहरोड़ में स्थित है। जिसकी सीमाज्ञान पैमाईश दिनांक 19.05.2022 को श्रीमान तहसीलदार,नीगराना के आदेशानुसार पटवारी हल्का द्वारा की गई सीमाज्ञान रिपोर्ट की प्रति संलग्न है। उक्त मुताबिक सीमाज्ञान रिपोर्ट के गिन प्रार्थीगण अपनी आराजी की पुख्ता पत्थरगढी करवाने के लिए श्रीमान तहसीलदार नीगराना से मिले तो उन्होंने बताया कि हमारे नाम से राजस्थान न्यायालय से पुख्ता पत्थरगढी किये जाने के आदेश लाने पर ही मुताबिक पैमाईश रिपोर्ट पत्थरगढी की जा सकेगी का अंकन करते हुए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर तहसीलदार, नीगराना को उक्त विवादित आराजी की पैमाईश रिपोर्ट दिनांक 19.05.2022 के मुताबिक पत्थरगढी किये जाने के आदेश फरमाये जाये का निवेदन रहा।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर बाद विधिवत तलबी अप्रार्थी की ओर से पैरोकार सरकार हाजिर अदालत आए एवं जवाब की आवश्यकता नहीं है का कथन करते हुए सहमति स्वरूप अपने हस्ताक्षर किये।

वकील प्रार्थीगण की प्रार्थना पत्र के बाबत बहस सुनी गई। दौरान बहस वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के जिम्मनों को दौहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मुताबिक पैमाईश सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 19.05.2022 के पुख्ता पत्थरगढी कराये जाने के आदेश फरमाये जाने का निवेदन किया।

वकील प्रार्थीगण की प्रार्थना पत्र बाबत बहस सुनी गई एवं पत्रावली व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन उपरान्त उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को यह न्यायालय स्वीकार योग्य पाता है।

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में स्वीकार किया जाता है एवं विवादित आराजी हाल ख.नं. 163/0.02, 164/2.90 हैक्टैयर वाके ग्राम रेवाणा तह0 नीगराना हाल जिला कोटपूतली-बहरोड़ की पुख्ता पत्थरगढी मुताबिक पैमाईश रिपोर्ट दिनांक 19.05.2022 के किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। इसे हेतु तहसीलदार, नीगराना को उक्त निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ अहकाम जारी है।

यह निर्णय आज दिनांक 26.06.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद तहसीलदार न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय सुनाया गया।

पंकज बडगुजर  
उपखण्ड अधिकारी  
जिला कोटपूतली-बहरोड़  
26.6.2024